FORM No. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

Court of उपखण्ड अधिकारी at (उत्तर) जोधपुर CNR NUMBER ....

Kind of the Case 75 LRACT

Number of Case 11

Year 2023

भीम सिंह Versus संतोष कंवर व

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
1/12/23	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर पीठासीन अधिकारी : पंकज कुमार जैन R.A.S अपीलार्थी: (1) भीमसिंह S/o भोपालसिंह उम्र 48 जाति राजपूत निवासी 461 न्यू बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर बनाम रेस्पोडेन्टस (1) श्रीमति संतोष धर्मपत्नि स्व. श्री गणपतसिंह (2) चंचल कंवर D/o स्व. श्री गणपतसिंह (3) संजूकवर D/o स्व. श्री गणपतसिंह (4) आरिशा D/o स्व. श्री गणपतसिंह निवासी सुथारो जाति रा० राजपूत निवासी करवड़ तहसील व ग्राम बास ग्राम करवड़ तहसील व जिला जोधपुर (5) तहसीलदार जोधपुर अपील अन्तर्गत धारा 75 LRACT पट्टा 20/2/20 जो नामा० सं. 1833 दिनांक 20/2/20 जो ग्राम पंचायत करवड़ ने स्वीकृत किया उपस्थित: अपीलार्थी की ओर से रजनीश गोस्वामी अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्टस की ओर से अनुपस्थित। P. उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर	

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

Number of Case .... Versus ....

....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief notes of
	आदेश	

संक्षेप में केस अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करवड तहसील व जिला जोधपुर की सीमा में स्थित भूमि ख.स. 397 व 398 के मूल खातेदार प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 के पूर्वज श्री गणपतसिंह S/o मोकमसिंह एवं उनके सह खातेदार ने मिलकर इस खसरा सं. 397 व 398 में भूखण्ड को काट कर छोटे-2 टुकड़ों में बना भूखण्डों को बेचान करने हेतु आम मुख्तयारनामा में निष्पादित अलग-2 आम मुख्तयारनामा श्री महिपाल सिंह S/o रूपसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम सालावास? महामंदिर जोधपुर के हक में निष्पादित किया गया। आम मुख्तयार श्री महिपाल ने आवासीय कॉलोनी श्री राम नगर योजना भूखण्ड अपीलार्थी ने [illegible] अलग-2 बेचाननामो द्वारा क्रय किये रजि. बेचाननामो द्वारा क्रय किये भूखण्ड संख्या 8 व 9 अलग-2 तारीख को खरीद कर रजि. बेचाननामा करवा कर कब्जा सौंप दिया। भूखण्डों के बेचान के पश्चात गणपतसिंह का देहान्त हो गया तथा देहान्त के पश्चात ग्राम पंचायत करवड तहसील व जिला जोधपुर ने गणपतसिंह के वारिसानो प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 के नाम अपीलार्थीगण द्वारा गलती से बेचान किये गये भूखण्डों को शामिल करते हुए स्वीकार कर लिया।

अधिकारी

Court of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	दिनांक 28/7/23 को परवादी (वकील) ने यह बताया कि अपीलार्थी नामा "गणपत सिंह के वारिसान के नाम दर्ज किया जावे। और में निवेदन किया है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया मौजा अपीलाधीन नामा. 29 गणपत सिंह द्वारा जारी आम मुख्त्यारनामे द्वारा बेचान किये गये अपीलार्थी को मु. खसरा सं. 1 से 9 तक निरस्त किये जाने का आदेश दिया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये, गये। इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गयी। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। हमने प्रस्तुत अपील पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, अपीलाधीन नामान्तरण, वकील अपीलांट द्वारा की गयी बहस एवं बहस में दिये गये तर्कों का अध्ययन कर विचार किया गया। ग्राम करवड़ के खसरा नं. 397 व 398 के मूल खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री गणपत सिंह S/o श्री ओमसिंह ने व अन्य सह- खातेदारों ने मिलकर इन खसरान के कीटे 2 [illegible] 2 आम मुख्त्यारनामे निष्पादित कर। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर	उपखण्ड अधिकारी ... जोधपुर (seal)

Number of Case .... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the ...
	श्री महिपालसिंह पु० देपसिंह जाति रावणा राजपूत नि० मानसागर महामंदिर जोधपुर के हक में बैयान निष्पादित किये। उक्त भूखण्ड आवासीय कालोनी श्री राम नगर योजना के नाम से काटी गयी। उक्त भूखण्डों के बैयान पश्चात गणपत सिंह का देहान्त हो गया तथा उक्त भूमि का नामान्तरकरण गणपतसिंह के उत्तराधिकारियों के रेस्पो० सं.1 से 4 के नाम दर्ज हो गया। जो विधि विरुद्ध है। जबकि नामा० स्व० गणपतसिंह के द्वारा बेची गयी भूमि व खरीददार द्वारा खरीद किये जाने के मुताबिक अपीलार्थी भीमसिंह S/o गोपालसिंह के नाम नामा० स्वीकृत होना चाहिये था। उक्त तथ्य आमुख्यात्मक नामों एवं पंजीबद्ध विक्रय आलेखों से स्पष्ट होता है।	
	ऐसी अवस्था में अपील में इसी देरी को छूट प्रदान करते हुए अपीलार्थी अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ नामा० सं-1833 दिनांक 20/12/2008 ग्राम करवड़ को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि विक्रय आलेखों के आधार पर सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।	
	(हस्ताक्षर)	
	पंकज कुमार जैन R.A.S.	
	उपखण्ड अधिकारी	

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर)